"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 16, शक 1939

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–13/2009/वाक(पं.)/पांच (121). — इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–13/2009/वाक(पं.)/पांच(72), दिनांक 15/09/2014 से प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की छूट के अनुक्रम में राज्य सरकार एतद् द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "नया रायपुर" परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में निष्पादित क्रय संबंधी लिखतों पर वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31–मार्च, 2019 तक प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 2017

क्रमांक एफ 10–13/2009/वाक(पं.)/पांच (121). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–13/2009/वाक (पं.)/पांच/(121), दिनांक– 04 सितम्बर, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 4th September 2017

NOTIFICATION

No. F 10 -13/2009/CT(R)/V(121). — In continuance to this department's notification no F 10-13/2009/CT(R)/V(72), Dated 15/09/2014 for grant in exemption to stamp duty in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby exempts stamp duty chargeable on instruments, executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to the purchase of private land by mutual agreement under the "Naya Raipur" project, for the financial year 2017-18 and 2018-19.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication on the Official Gazette upto 31st March 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.